आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार ग्राम ढाबसी की जमाबन्दी सम्वत 2075-78 में खाता संख्या 737 में [illegible] हनमान पुत्र झाबर दर्ज किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज [illegible] आपाटमाई [illegible] में प्रार्थी का नाम हनुमानराम पि० झाबरराम अंकित है। अतः श्रीमान [illegible] निवेदन है कि प्रार्थी का नाम खाता पुत्र झाबर के बजाय हनुमानराम पि० झाबरराम किया जावे रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

दिनांक 27/10/2021

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है / की जाती है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 27/10/21

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	ढाबसी	2075-78	737	हनमान पि० झाबर	हनुमानराम पि० झाबरराम

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 27/10/21

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 459-60

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया .....को सूचनार्थ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.05 11:06:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Scanned with CamScanner